न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट,जमवारामगढ़,जयपुर
बइजलास श्री नरेन्द्र कुमार मीना R.A.S.

राजस्व वाद सं0 46/2017

राजेश कुमार मीणा पुत्र चन्दालाल जाति मीणा निवासी नटाटा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

.....वादी

बनाम

1. नाथू पुत्र लक्ष्मीनारायण
2. जौहरी पुत्र लक्ष्मीनारायण
3. महादेव पुत्र लक्ष्मीनारायण
   जातियान महाजन निवासी गठवाडी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जमवारामगढ, जयपुर।

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.ऐक्ट.

निर्णय

दिनांक 25.03.2019

वादी की ओर से वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर0टी0एक्ट0 के तहत पेश किया गया कि ग्राम गठवाडी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में वादग्रस्त भूमि खसरा नं0 400 रकबा 4 बिस्वा, 401 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, 402 रकबा 4 बिस्वा, 403 रकबा 10 बिस्वा किता 4 कुल रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा में वादी का हिस्सा 1/2 अनुसार एवं प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 का संयुक्त हिस्सा 1/2 मुताबिक राजस्व रिकार्ड में अंकितानुसार स्थित है। जिसके अनुसार ही वादी अपने हिस्सा 1/2 की भूमि में पुराने बहामी बंटवारे अनुसार बदस्तूर काबिज काश्तकार है तथा शेष हिस्सा मुताबिक खातेदारी प्रतिवादीगण की है। वादी वादग्रस्त भूमि में विधिक बंटवारा कराना चाहता है, जिससे तकासमा डिक्री फरमाया जाकर वादग्रस्त भूमि में मुताबिक रिकार्ड में दर्ज हिस्से रकबा अनुसार विधिक तकासमा कराया जाकर वादी की भूमि का राजस्व रिकार्ड अलग से कायम कराया जावे एवं वादी की भूमि का राजस्व लगान अलग से कायम कराया जावे।

वादी की ओर से उपरोक्तानुसार प्रस्तुत वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विचाराधीन वाद में प्रतिवादीगण को हाजिर अदालत होकर जवाब प्रस्तुती हेतु जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक द्वारा तलबी के नोटिस जारी किये गये, जिस पर सुनवाई की नियत पेशी पर प्रतिवादीगण व उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 27.04.2018 को उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई, जिसके अनुसार उपस्थित वकील वादी को बहस पत्रावली पर सुना गया, जिसमें वकील वादी ने वाद में अंकित उक्त कथनों को मध्य नजर रखते हुए पक्षकारों के हिस्से कब्जे अनुसार भूमि वादग्रस्त का तकासमा करने हेतु कथन किया। वकील वादी ने कथन किया कि प्रकरण तकासमे का है जो कि अनावश्यक ही लम्बित है, जिसको मध्य नजर रखते हुए वकील वादी ने तकासमें हेतु प्राथमिक डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

विचाराधीन प्रकरण में उक्त तथ्यों व कथनों अनुसार दिनांक 27.04.2018 को वकील वादी की बहस सुना जाकर वादग्रस्त भूमि में उभय पक्षो के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर कब्जे को ध्यान में रखते हुए, सरस–नरस के आधार पर वाद में तकासमें हेतु निर्णय किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी किया गया। जिसके अनुशरण में तहसीलदार जमवारामगढ को कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश देने पर विवादित भूमि के सम्बन्ध में कुर्रेजात रिपोर्ट के प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया।

जो कि उक्त प्रकरण में पारित निर्णय/प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार जमवारामगढ ने अपने पत्र क्रमांक/एलआर/19/345 दिनांक 19.01.2019 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाई, जिसे पत्रावली में शामिल किया गया। जिस पर दिनांक 25.03.2019 को वकील वादी को बहस पत्रावली पर सुना जाकर विभाजन हेतु शामिल कुर्रेजात रिपोर्ट मय प्रस्तावित नक्शा, दस्तावेज को मध्य नजर रखते हुए पत्रावली में हमने ब–गौर अवलोकन व मनन किया, जिसके उपरांत न्यायालय आदेशानुसार पारित प्राथमिक डिक्री की पालना में विवादित भूमि के सम्बन्ध में तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में अंतिम निर्णय व डिक्री पारित किया जाता है तथा प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर वाद में आगे/निम्न प्रकार अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित कर बंटवारा कायम किया जाता हैं।

–:विभाजन की स्थितिः–

1. राजेश कुमार पुत्र चन्दालाल जाति मीना निवासी नटाटा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा कूकस तहसील आमेर के बंटवारें में खसरा नं0 401 रकबा 18 बिस्वा, 402 रकबा 04 बिस्वा, 403 रकबा 10 बिस्वा किता 3 कुल रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा भूमि कायम किया जाता है।

2. नाथू, जोहरी, महादेव पुत्रान लक्ष्मीनारायण कोम महाजन साकिन देह के बंटवारें में खसरा नं0 401/1 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा भूमि कायम किया जाता है।

3. नाथू, जोहरी, महादेव पुत्रान लक्ष्मीनारायण कोम महाजन हिस्सा 1/2 साकिन देह, देबू पुत्र दल्लाराम कोम मीना हिस्सा 1/2 साकिन देह के बंटवारें में खसरा नं0 400 रकबा 4 बिस्वा भूमि कायम किया जाता है।

उपरोक्तानुसार अंतिम निर्णय पारित किया जाकर अन्तिम डिक्री पारित की जाती है तथा साथ ही वादी एवं प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि बंटवारे अनुसार कोई भी पक्षकार एक दूसरे के कब्जे व उपयोग उपभोग में दखलांदाजी नहीं करें। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय व डिक्री की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति दाखिल दफतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2020.02.24 13:12:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: